

संख्या-1/2020/मु0स0-11/एक-9-2020-2एफ/2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं:-

1-यह योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होगी।

2-पात्रता (कृषक की परिभाषा)-

यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषकों के लिए है, जो दुर्घटनावश मृत/दिव्यांग हो जाते हैं। कृषक का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

(1) राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार।

अथवा

(2) खातेदार/सहखातेदार के परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य (Bread winner) जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है।

अथवा

(3) ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं तथा जिनकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गयी भूमि पर कृषि कार्य

है। पट्टेदार के अन्तर्गत असामी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार तथा निजी पट्टेदार सम्मिलित होंगे।

3- पट्टेदार/बटाईदार का चिन्हांकन-

इस योजना में उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रस्थापित संहिता की सुसंगत धाराओं में उल्लिखित निजी पट्टेदार/बटाईदार का चिन्हांकन निम्नवत् किया जायेगा:-

(क) रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार का चिन्हांकन

रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार के चिन्हांकन हेतु रजिस्टर्ड पट्टे की प्रमाणित प्रति लिया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) बटाईदार का चिन्हांकन

बटाईदार के चिन्हांकन हेतु निम्नलिखित 02 में से कोई एक प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी प्रमाण पत्र केवल कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांग होने की दशा में "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" की सहायता राशि दिये जाने के लिए ही मान्य होगा। परन्तु उक्त प्रमाण पत्र किसी भी दशा में अन्य किसी प्रयोजन हेतु अथवा भूमि के स्वामित्व आदि दावे के लिए मान्य नहीं होगा:-

(1) भू-स्वामी या उनके वारिस/विधिक वारिस से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि दुर्घटना में मृत अथवा दिव्यांग होने वाले व्यक्ति द्वारा दुर्घटना के फसली वर्ष में उनकी जमीन पर बटाई पर कृषि कार्य किया गया है।

अथवा

(2) भू-स्वामी उपलब्ध न होने पर, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर, मुहर से दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त प्रभावित व्यक्ति दुर्घटना के फसली वर्ष में भूमिधर व्यक्ति की भूमि पर बटाईदार था।

यह भी कि बटाईदार के चिन्हांकन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी परीक्षणोपरान्त संतुष्ट हो लेंगे कि पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ अनुमन्य हो।

4- आयु-

कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को उसकी आयु 18 से 70 वर्ष तक हो।

5- योजना का आच्छादन-

(1) यदि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, सांप के काटने, जीव-जन्तु/ जानवर द्वारा काटने/मारने/ आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने/दबने, मकान गिरने, रेल/रोड/वायुयान/अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भू-स्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होती है तो कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

(2) दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता के प्रकार] प्रकृति इत्यादि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(3) कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता यदि आत्महत्या या आपराधिक कार्य स्वयं करते समय होती है, तो ऐसी दशा में इस योजना के अन्तर्गत कृषक को कोई सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

6- योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता-

इस योजना के अन्तर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम ₹0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) की सहायता राशि निम्नानुसार देय होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी:-

क्रमांक	दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में	देय धनराशि
1	2	3
1-	मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति	100 प्रतिशत
2-	दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की क्षति	100 प्रतिशत
3-	एक हाथ तथा एक पैर की क्षति	100 प्रतिशत
4-	एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति	50 प्रतिशत
5-	स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर	50 प्रतिशत
6-	स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर	25 प्रतिशत

7- (1) यदि कोई कृषक मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता से आच्छादित है तो उसकी दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में सामान्य रूप से उसके विधिक

वारिस/वारिसों/स्वयं कृषक को इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता की धनराशि को समायोजित करते हुये अन्तर की धनराशि देय होगी। इस अन्तर की धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2)- इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में रू0 4.00 लाख की धनराशि प्राप्त होती है तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 2.00 लाख रूपये तथा 40 से 60 प्रतिशत की दिव्यांगता होने पर रू0 59,100/- प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचक निधि से प्राप्त होते हैं। राज्य आपदा मोचक निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि मृत्यु की दशा में रूपये 4.00 लाख अथवा दिव्यांगता की दशा में प्राप्त हुयी धनराशि को घटाते हुये अन्तर की धनराशि देय होगी।

(3)- उपर्युक्त प्रस्तर-7 के उप प्रस्तर (1) व (2) में उल्लिखित योजनाओं को सम्मिलित कर कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को प्राप्त होने वाली धनराशि यदि रूपये 5.00 लाख से अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

8- कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में उसके विधिक वारिस/ वारिसों/स्वयं कृषक द्वारा आवेदन पत्र भरकर जिलाधिकारी को सम्बोधित करते हुये सम्बन्धित तहसील में जमा किया जायेगा। दुर्घटनावश मृत कृषक के एक से अधिक वारिस होने पर उनके द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जायेगा।

9- कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ यथा वांछित निम्न साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:-

(1) (अ) खतौनी की प्रमाणित प्रति।

अथवा

(ब) रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर-3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति।

अथवा

(स) बटाईदार हेतु प्रस्तर-3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र।

(2) आयु प्रमाण-पत्र

आयु प्रमाण-पत्र हेतु निम्न में से कोई एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा:-

(अ) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र

(ब) परिवार रजिस्टर की प्रति

(स) वोटर आई0डी0 कार्ड

(द) पासपोर्ट

- (य) ड्राइविंग लाइसेन्स
(र) आधार कार्ड
(ल) पैन कार्ड
- (3) निवास प्रमाण-पत्र
उ0प्र0 के निवासियों हेतु निवास प्रमाण-पत्र निम्न में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा:-
(अ) पासपोर्ट
(ब) ड्राइविंग लाइसेंस
(स) राशन कार्ड
(द) वोटर आई0डी0 कार्ड
(य) आधार कार्ड
(र) उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र
- (4) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्ट मार्टम सम्भव नहीं है, वहां पर पंचनामा
- (5) मृत्यु प्रमाण-पत्र
(6) दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
(7) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (केवल विवादित उत्तराधिकार की दशा में)
(8) बैंक पासबुक की छायाप्रति
(कृषक/विधिक वारिस/वारिसों द्वारा आवेदन पत्र में धनराशि प्राप्त करने वाले का बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता नम्बर एवं IFSC नम्बर भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसी खाते में सहायता राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा)
- (9) मोबाईल नम्बर
(10) आधार नम्बर

10- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि-

कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर, कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों/प्रपत्रों को पूर्ण कराकर, दो प्रतियों में (मूल प्रति एवं छाया प्रति) अधिकतम डेढ़ माह (45 दिन) की अवधि में सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को 01 माह तक बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा। किसी भी दशा में **ढाई माह (75 दिन)** के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया-

कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(क)- कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होने पर कृषक/विधिक वारिस/वारिसों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तर-10 में निर्धारित अवधि में सभी आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कराकर सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा किया जायेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जायेगी।

सम्बन्धित तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं व साक्ष्यों का परीक्षण/जांच कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर आवेदन पत्रावली उप जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों की छाया प्रति सहित पत्रावली तहसील कार्यालय में संरक्षित की जायेगी तथा इसका विवरण तहसील कार्यालय के रजिस्टर/कम्प्यूटर में भी संरक्षित किया जायेगा। इस हेतु तहसीलदार द्वारा एक राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) को नामित किया जायेगा।

(ख)- उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रावली प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार] तहसील स्तर से जिन अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करायी गयी है, उनसे इतर (उनको छोड़कर) अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण एवं पात्र-अपात्र की पहचान हेतु क्रास चेकिंग करायी जायेगी और संतुष्ट होने पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आवेदन पत्रावली सामान्यतः एक सप्ताह में जिलाधिकारी को निस्तारण हेतु प्रेषित की जायेगी। उप जिलाधिकारी के स्तर पर किया गया क्रास वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी चेक के रूप में माना जायेगा।

(ग)- जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त सामान्यतः एक सप्ताह के अन्दर आवेदन पत्र का परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण/भुगतान जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और आवेदन पत्र सहित समस्त अभिलेख जिलाधिकारी कार्यालय के भूलेख अनुभाग में तथा समानान्तर रिकार्ड रजिस्टर/कम्प्यूटर में भी संरक्षित किया जायेगा।

(घ)- आवेदन पत्र के स्वीकृत होने की दशा में कृषक/विधिक वारिस/वारिसों के बैंक खाते में सहायता धनराशि का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा।

(च)- जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र के स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा प्रार्थी को भी दी जायेगी।

(छ)- इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा एक माह के अन्दर प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण/भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकतम 45 दिन के अन्दर आवेदन पत्र का निस्तारण/भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज)- कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र, विधिक वारिस/वारिसों का प्रमाण-पत्र तथा आयु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। खतौनी में कृषक की निर्विवाद वरासत का अंकन ही विधिक वारिस प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य होगा।

परन्तु कृषक की पात्रता की परिभाषा के प्रस्तर 2 के उप प्रस्तर 2 या 3 की स्थिति में कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर परिवार के सभी सदस्यों का सम्मिलित सहमति का शपथ पत्र, जो उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, मान्य होगा। केवल ऐसे मामले जो कि विवादित हों उनमें सक्षम न्यायालय से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(झ)-दिव्यांगता की दशा में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(य)- सांप/अन्य विषैले जीव-जन्तु के काटने से कृषक की मृत्यु की दशा में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा कि विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(र)- यदि किसी आवेदन पत्र के संबंध में जिलाधिकारी स्तर पर निस्तारण के पश्चात आवेदनकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नये तथ्य संज्ञान में लाये जाते हैं तो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार पुनः आवश्यक जांच करायी जायेगी और जांचोपरान्त मुखरित आदेश के माध्यम से पुनः आवेदन पत्र का निस्तारण किया जायेगा। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा मुखरित आदेश के माध्यम से लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(ल)- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों द्वारा आवेदन पत्रों के निस्तारण/भुगतान की नियमित रूप से मासिक समीक्षा की जायेगी। आवेदन पत्रों के निस्तारण/भुगतान के सम्बन्ध में तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से पत्रावली लम्बित पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12- ऑन लाइन व्यवस्था (वेब पोर्टल)-

योजना के सफल एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने के दृष्टिगत वेब पोर्टल/साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा। जब तक साफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता तब तक आवेदन पत्र सीधे संबंधित तहसील में जमा किये जायेंगे। इस साफ्टवेयर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी। कृषक/विधिक वारिस/वारिसों द्वारा योजना के अन्तर्गत सहायता पाने हेतु आवेदन साफ्टवेयर पर किया जा सकता है। पोर्टल लागू होने के बाद भी आन लाइन एवं आफ लाइन व्यवस्था लागू रहेंगी।

13- प्रचार-प्रसार-

योजना के सफल संचालन के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शासन द्वारा बजट प्राविधान कराया जायेगा।

14- बजटीय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय-

(1) योजना के सफल संचालन हेतु दुर्घटनावश कृषकों की मृत्यु/दिव्यांगता होने पर कृषक/विधिक वारिसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु शासन के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनराशि की व्यवस्था नियमानुसार बजट में करायी जायेगी।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु तहसील, जनपद तथा राजस्व परिषद स्तर पर प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। उक्त धनराशि को कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, वाहन पेट्रोल आदि तथा प्रचार-प्रसार के मदों में व्यय किया जायेगा।

(3) परिषद में प्राप्त होने वाले बजट की धनराशि वित्तीय नियमों के अनुसार जिलाधिकारियों को कृषक/विधिक वारिस/वारिसों के लिये भुगतान हेतु आवंटित की जायेगी तथा जिलाधिकारी वित्तीय नियमों के अनुसार स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष धनराशि का भुगतान कर सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव जनपद स्तर पर करेंगे ताकि आडिट के समय सही प्रकार से विवरण प्रस्तुत किये जा सकें।

15- राज्य स्तरीय अनुश्रवण-

शासन/राजस्व परिषद द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा। परिषद द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट की मांग शासन से की जायेगी और शासन से धनराशि प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार बजट जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। शासन से योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि का रख-रखाव परिषद द्वारा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में प्राप्त आवेदनों के भुगतान/निस्तारण की प्रगति की समीक्षा शासन/राजस्व परिषद द्वारा समय-समय पर की जायेगी। इसके अतिरिक्त

आवश्यकतानुसार शासन/राजस्व परिषद द्वारा जनपदों में योजना का भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा।

16- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-मु0स0-11(1)/एक-9-2020-2एफ/2018, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय गोयल
सचिव।